अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–10.01.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

दिनांक–10.01.2019 को अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निम्न निदेश दिए गए :–

1. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची / दुमका प्रक्षेत्र की 26 जनवरी 2019 तक पूर्ण होने वाली योजनाओं की सूची तैयार करने का निदेश दिया गया।

   (कार्रवाई– अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग, राँची)

2. लघु सिंचाई प्रक्षेत्र में चल रही सभी प्रकार की योजनाएँ 31 जनवरी 2019 तक पूरा करने का निदेश दिया गया।

   (कार्रवाई– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची / दुमका)

3. 31 जनवरी के बाद समस्त प्रयास के बावजूद अपूर्ण रहने वाली योजनाओं की सूची, पूरा नहीं किए जाने में उत्पन्न व्यवधान एवं उसका संभावित समाधान अंकित करते हुए दिनांक–20 जनवरी, 2019 तक उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

   (कार्रवाई– अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग, राँची)

4. नई योजना का निर्माण / पुर्नस्थापन का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व जल उपभोक्ता समिति का गठन करने एवं समिति (कम से कम ग्यारह सदस्य) के प्रति सदस्य रू0 100.00 (सौ रूपए) एकत्रित कर बैंक एकाउन्ट खोलने एवं सूचित करने का निदेश दिया गया।

   योजना का कार्य लाभुक समिति का एकाउन्ट खोलने के उपरात प्रारम्भ किया जाएगा।

   (कार्रवाई– अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग, राँची)

5. प्रशासनिक प्रमंडलवार एक सहायक अभियंता को प्रतिनियुक्त करते हुए लघु सिंचाई अनुश्रवण कोषांग का गठन करने का निदेश दिया गया।

   सेल के सदस्य प्रमंडलवार लघु सिंचाई योजनाओं हेतु लाभुक समिति के गठन एंव उनके कार्यकलाप इत्यादि की मोनिटरिंग करेंगे।

   (कार्रवाई– अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग, राँची)

ह0 / –

अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग,राँची।

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / बैठक / 60 / 2013.......................... / राँची, दिनांक–.....................
प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता (मो0) / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख–II
जल संसाधन विभाग,राँची।

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / बैठक / 60 / 2013........................... / राँची, दिनांक–.....................

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख–II

जल संसाधन विभाग, राँची।

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / बैठक / 60 / 2013.....35..... **/ राँची, दिनांक–**.....15/01/14

प्रतिलिपिः–वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/01/14

अभियंता प्रमुख–II

जल संसाधन विभाग, राँची।